| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>भूपराम बनाम श्रीराम आदि<br>अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए<br>मुकदमा नम्बर –40/2020 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 26.10.2020 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से तहसील लूनकरनसर के चक 3 डी.एल.डी. के मु0न0 के कि0न0 13,14,17ता19,22ता25 तादादी 9 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी को खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए कोई कटानी रास्ता नहीं हैं। जिसके कारण प्रार्थी अपनी भूमि में आ–जा नहीं सकता । प्रार्थी के मु0न0 189/32 के कि0न0 1,10,11,20,21 में सरकारी कटानी रास्ता हैं। प्रार्थी सरकारी कटानी रास्ते के मु0न0 189/32 के कि0न0 21 के दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम आता जाता है जो काफी समय से रास्ता मौके पर चल रहा हैं। मु0न0 189 के कि0नं0 21 अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीराम के नाम से मु0नं0 189/32 के कि0न0 21 में 2 बिस्वा भूमि पासा दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम में रास्ता कटाने में सहमत है व अगर कि0न0 21 कि0नं0 21 में पासा दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 2 बिस्वा रास्ता अप्रार्थी सं01 की भूमि में काटा जाता है तो अप्रार्थी सं. 02 को किसी प्रकार की कोई आपति नहीं हैं। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए ओर कोअई स्वीकृत रास्ता नहीं हैं अतः कानूनी रूप से रास्ता कटाने के लिए वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।<br>हमने पत्रावली को अवलोकन किया । पत्रावली में शामिल जमाबन्दी गांव 3 डीएलडी संवत् 2072–75 मु0नं0 189/32 एवं आंशिक नजरी नक्शा का अवलोकन किया । पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रमाणित आधार प्रति एवं रास्ता स्वीकृत करने बाबत शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें आपसी रजामन्दी से सहमति दी गई हैं जो शामिल पत्रावली हैं।<br>राज पैरोकार द्वारा जवाब में कहा गया की स्वीकृत किये जाने वाला रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति से स्वीकृत करवा रहे है सरकार को कोई आपति नहीं हैं। राज पैरोकार द्वारा रास्ता नियमानुसार स्वीकृत करने बाबत सहमति दी ।<br>हमने बहस का मनन किया प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2072–2075, आंशिक नजरी नक्शा एवं अपसी सहमति हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया । उपरोक्त बहस एवं रिकॉर्ड अवलोकन से स्पष्ट है उभय पक्ष आपसी सहमति से निस्तारण चाहते हैं। अतः गांव 3 डीएलडी के मु0नं0 189/32 के कि0न0 21 में 2 बिस्वा भूमि पासा दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम में रास्ता कटाने में उभय पक्ष सहमती एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 द्वारा पेश सहमति शपथ पत्र के आधार पर गांव 3 डीएलडी के मु0नं0 189/32 के कि0न0 21 में 2 बिस्वा भूमि पासा दक्षिण दिशा पूर्व से पश्चिम में रास्ता कटाने बाबत अपसी सहमति अनुसार प्रार्थी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर [illegible] की प्रमाणित प्रति भेज निर्देशित किया जाता है कि अ[illegible] खातेदारी भूमि पर उक्तानुसार स्वीकृत रास्ता का रिकार्ड [illegible] मौके पर रास्ता की निशानदेही करावें। पत्रावली [illegible] शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।<br>यह आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>(भागीरथ शाख)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>लूनकरनसर | |

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:30:10 IST
Reason: SelfAttested